रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022021-224975
CG-DL-E-05022021-224975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2021/माघ 16, 1942
No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2021/MAGHA 16, 1942

## विद्युत मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2021

**किसी भी अन्य स्रोत अथवा भंडार से प्राप्त विद्युत से परिपूरित, ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन**

**सं. 23/05/2020-आरएण्डआर.—**

1.0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अंतर्गत कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजनाओं से परिपूरित, ग्रिड संबद्ध अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं से चौबीसों घंटे (राउंड द क्लॉक) विद्युत क्रय करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देशों को दिनांक 22 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-। - खण्ड-1) में प्रकाशित संकल्प संख्या 23/05/2020-आरएण्डआर के द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-। - खण्ड-1) में प्रकाशित संकल्प संख्या सं. 23/05/2020-आरएण्डआर दिनांक 03 नवंबर, 2020 के द्वारा संशोधित किया गया है।

2.0 दिनांक 03 नवंबर, 2020 को संशोधित 22 जुलाई, 2020 के उक्त दिशानिर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

2.1 बिंदु संख्या 2.2(ख) पर पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाए

**अक्षय ऊर्जा (आरई) विद्युत:** इन दिशानिर्देशों में जहां कहीं भी 'आरई विद्युत'अथवा 'अक्षय ऊर्जा'अथवा 'अक्षय ऊर्जा विद्युत' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह इन दिशानिर्देशों के तहत बोली प्रक्रिया के अनुसरण में चालू की गई ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) के साथ अथवा उसके बिना, सौर विद्युत उत्पादन प्रणालियों, पवन विद्युत उत्पादन

प्रणालियों अथवा तत्संबंधी सम्मिश्रण के संदर्भ में होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि अक्षय ऊर्जा विद्युत के अलावा अन्य स्रोत का उपयोग करके चार्ज की गई ऊर्जा भंडारण प्रणाली को आरई विद्युत के रूप में नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन दिशा-निर्देशों के तहत किसी परियोजना के साथ प्रस्तुत की गई ऊर्जा भंडारण प्रणाली को केवल अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता का उपयोग करके ही चार्ज किया जाना चाहिए। उसी अक्षय ऊर्जा विद्युत के संबंध में कटौती के मामले में यातो मुआवजा पाने या ऊर्जा भंडारण प्रणाली के चार्जिंग के लिए विचार किया जाएगा।

2.2 पैराओं **7.4.1, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3.1, 7.4.4.1, 7.4.4.2, 7.4.4.3, 7.4.5.1, 7.4.5.2, 7.4.5.3, 7.4.5.4, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8.1, 7.4.8.2 को निम्नानुसार पढ़ा जाएः**

**"7.4 अप्रत्याशित घटनाः**

**7.4.1** पीपीए में उद्योगों के मानकों के अनुसार अप्रत्याशित घटना के कारण अप्रत्याशित घटना की परिभाषाओं, बहिष्करणों, प्रयोज्यता तथा उपलब्ध राहत के संदर्भ में प्रावधान होंगे। उत्पादक अप्रत्याशित घटना के शुरू होने के 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना के बारे में खरीदार को सूचित करेगा तथा खरीदार सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपने दावे पर निर्णय लेगा।"

2.3 बिंदु संख्या 7.5 (ख)पर पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जाए

"**घटे हुए ऑफटेक के मामले में भुगतानः** उत्पादक और खरीदार उपयुक्त आयोग द्वारा इस संबंध में जारी विनिर्देशों के अनुसार पूर्वानुमान और शिड्यूलिंग प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। यदि संयत्र विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध है परंतु खरीदार द्वारा "वितरण लाईसेंसधारियों द्वारा विद्युत खरीद करार के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र के रूप में पर्याप्त लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) शुरु करने और संचालित करने के संबंध में विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28.06.2019 के आदेश सं. 23/22/2019-आरएंडआर'' और इससे संबंधित किसी स्पष्टीकरण या संशोधन की अनुपालना न होने के कारण विद्युत की आपूर्ति न होने सहित विद्युत ऑफटेक नहीं किया जाता है, तो आरई विद्युत के लिए 'मस्ट रन' स्थिति और तापीय विद्युत के लिए निर्धारित शुल्कों को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक खरीदार से भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीके से घटे ऑफटेक के अनुरूप भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। मुआवजे का दावा करने के लिए उत्पादक को एक प्राइस टेकर के रुप में पावर एक्सचेंज में अपनी विद्युत बेचनी चाहिए। इस प्रकार मुआवजा घोषित क्षमता तक वास्तविक उत्पादन के अन्तर तक सीमित होगा जो अधिकतम अनुबंधित क्षमता और खरीदार द्वारा शिड्यूल की गई विद्युत की मात्रा के अध्यधीन होगा।

| घटा हुआ ऑफटेक | उत्पादन मुआवजे के लिए प्रावधान |
|---|---|
| | उत्पादन मुआवजा = ((आरई टैरिफ x आरई विद्युत (मेगावाट,) जो खरीदार द्वारा प्रस्तावित थी, परंतु शिड्यूल नहीं हुई) + (गैर-आरई निर्धारित शुल्क x अन्य स्रोतों से विद्युत (मेगावाट), जो खरीदार द्वारा प्रस्तावित थी, परंतु शिड्यूल नहीं हुई)) X 1000 X घटे हुए ऑफटेक के घण्टों की संख्या<br><br>तथापि, उत्पादक द्वारा, तीसरे पक्ष को बेची गई अथवा आरई विद्युत के लिए प्राइस टेकर के रूप में विद्युत विनिमय में बेची गई अथवा गैर-आरई विद्युत के लिए विद्युत विनिमय में बेची गई ऐसी विद्युत जो प्रस्तावित थी, पर शिड्यूल नहीं हुई, उससे प्राप्त कोई धनराशि, यदि ऐसी बिक्री में कोई खर्च हुआ हो, तो उसकी कटौती के बाद, खरीदार से निम्नानुसार हिस्सेदारी की जाएगी, और मासिक आधार पर देय उत्पादन मुआवजे में समायोजित की जाएगी।<br><br>**(क) आरई विद्युत के लिएः**<br><br>ऐसी बिक्री में, यदि कोई हो, वास्तविक बिक्री में कटौती के बाद 95% वसूली<br><br>**(ख) गैर-आरई विद्युत के लिएः**<br><br>ऐसी बिक्री में, यदि कोई हो, वास्तविक बिक्री में कटौती के बाद गैर-आरई टैरिफ के परिवर्तनीय शुल्कों से अधिक 95% की वसूली |

घनश्याम प्रसाद, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF POWER**

**RESOLUTION**

New Delhi, the 5th February, 2021

**<u>Amendments to the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from any other source or storage</u>**

**No. 23/05/2020-R&R.—**

**1.0** The **Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding Process for Procurement of Round-The Clock Power from Grid Connected Renewable Energy Power Projects, complemented with Power from Coal Based Thermal Power Projects** have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 vide resolution **No. 23/05/2020-R&R** published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I - Section 1) on 22nd July, 2020 and have been amended vide resolution **No. 23/05/2020-R&R dated 3rd November, 2020** published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I - Section 1).

**2.0** The following amendments are hereby made in the said guidelines of 22nd July, 2020 amended on **3rd November, 2020** namely:-

2.1 The Para at point no 2.2(b) **may be read as under:**

**"Renewable (RE) Power'**: The term 'RE Power', or 'Renewable Power', or 'Renewable Energy Power', wherever used in these Guidelines, shall refer to power from Solar Power Generating Systems, Wind Power Generating Systems, or a combination thereof, with or without Energy Storage System (ESS), commissioned in pursuance of bidding process under these Guidelines. It is clarified that ESS charged using a source other than RE power would not qualify as RE power. Further, the ESS offered with a project under these Guidelines should only be charged from RE power capacity.The same RE power shall either be considered for getting compensation in case of curtailment or for charging of ESS."

2.2 The paras **7.4.1, 7.4.2.1, 7.4.2.2, 7.4.3.1, 7.4.4.1, 7.4.4.2, 7.4.4.3, 7.4.5.1, 7.4.5.2, 7.4.5.3, 7.4.5.4, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8.1, 7.4.8.2 may be read as under**

**"7.4 Force Majeure:**

**7.4.1** The PPA shall contain provisions with regard to Force Majeure definitions, exclusions, applicability and available relief on account of force majeure as per the Industry Standards. The Generator shall intimate the procurer about the occurrence of force majeure within 15(fifteen) days of the start of the force majeure and the procurer shall take a decision on his claim within 15 days of the receipt of the intimation."

2.3 The Para at point no 7.5 (b) may be read as under

**Payment in case of reduced off take**:The Generator and the Procurer shall follow the forecasting and scheduling process as per the regulations in this regard by the Appropriate Commission. In case the plant is available to supply power but the off take of power is not done by the Procurer, including non-dispatch of power due to non-compliance with "Order No. 23/22/2019-R&R dated 28.06.2019 of Ministry of Power regarding Opening and maintaining of adequate Letter of Credit (LC) as Payment Security Mechanism under Power Purchase Agreements by Distribution Licensees" and any clarifications or amendment thereto, considering the principle of 'must run' status for RE Power, and the Fixed charges for thermal power, the Generator shall be eligible for payment from the Procurer, corresponding to the reduced off take, in terms of following manner. For claiming compensation the generator must sell their power in the power exchange as a price taker. Thus, the compensation would be limited to the difference of the actual

generation up to declared capacity subject to a maximum of up to the contracted capacity and the quantum of power scheduled by the procurer.

| Reduced off take | Provision for Generation Compensation |
|---|---|
| | Generation Compensation = (( RE Tariff x RE power (MW) offered but not scheduled by Procurer ) + (Non RE Fixed Charge x power from other source (MW) offered but not scheduled by Procurer) ) X 1000 X No. of hours of Reduced Off take.<br><br>However, any amount realized by the Generator, by third party sale or sale in the power exchange as price taker for RE power or sale in the power exchange for Non-RE powerof such power which was offered but not scheduled, shall be shared with the Procurer in the following manner, after deducting expenses, if any, in such sale, and shall be adjusted against the Generation compensation payable, on monthly basis.<br><br>(a**) For RE Power:**<br><br>95% of realization after deducting actual expenses, if any, in such sale<br><br>(b) **For Non RE Power**:<br><br>95% of realization above variable Charges of Non RE Tariff after deducting actual expenses, if any, in such sale |

GHANSHYAM PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.